बनाए रखने के लिए उर्वरकों का मुद्रा परीक्षण आधारित उपयोग, रासायनिक उर्वरकों, कम्पोस्ट, खाद तथा जैव-उर्वरकों का संयोजक उपयोग शामिल है ।

Production of Kesari Dal

2513. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the production of Kesari Dal which is harmful for the human beings is increasing in several States;

(b) if so, whether the Indian Council of Agricultural Research have conducted any survey about its rapid production and effect on human beings;

(c) if so, facts and details thereof; and

(d) further reaction of the Government on the use of Kesari Dal in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE: (a) Statewise production of Kesari Dal in 4 major producing States during the last 3 years is given below:

Production (Thousand Tonnes)

State	1995-96	1996-97	1997-98
Bihar	115.2	158.4	133.8
Madhya Pradesh	254.8	337.7	48.0
Maharashtra	20.8	22.6	16.6
West Bengal	30.9	32.2	28.5
TOTAL	421.7	550.9	226.9

(b) and (c) A survey about production, consumption pattern and harmful effect of Kesari dal on human health was conducted in a sample of villages in Chattisgarh region of Madhya Pradesh by Indira Gandhi Agricultural University, Raipur in 1996. The major findings of survey are summarised below:

Families surveyed involved marginal, small and medium farmers. It was found that most families use Kesari as dal and some use it in the form of besan and bread. It is reported that those who used Kesari in bulk quantities as food during 1974-75 food deficit period have suffered due to lathyrism. As per report of survey, 15 people were found to be affected due to lathyrism. These were case 1974-75 and 1980-81. About 48% people surveyed were aware of the harmful affect of Kesari dal consumption.

It is to be mentioned that socio-epidemiological studies conducted in many other countries suggest that there is close association between consumption of Kesari Dal and Lathyrism in human beings.

(d) The ban on the sale and storage for sale of Kesari dal has been in operation since 1961 under Rule 44-A of the Prevention of Food Adulteration (PFA) Act.

गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछेक जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया जाना

2514. **श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने हाल ही मे गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कतिपय जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है;

(ख) क्या गुजरात के कच्छ तथा पंचमहल जिलों को सरकार द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्र की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है ;

(ग) इन जिलों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही केन्द्रीय सहायता का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन जिलों को अधिसूचित करने पर भी विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में किसी भी जिले को अभावग्रस्त घोषित नही किया गया है । महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि 15 जिलों में 6135 गांवों को आभावग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचारधीन है । मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस समय राज्य में 7 जिलों की 25 तहसीलें सूखाग्रस्त है ।

(ख) गुजरात सरकार ने कहा है कि कच्छ और पंचमहल जिलों के किसी भी क्षेत्र को अभी तक अभावग्रस्त घोषित नही किया गया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नही उठते ।

Private Participation in Nuclear Power Sector

2515. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: (a) whether Government

propose to open up nuclear power sector to the private sector to meet the growing demand of power; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) and (b) The Government of India are open to specific offers for participation by private firms, Indian or foreign, in the nuclear power sector.. However, the Government have not received any concrete proposals from the private sector so far for setting up nuclear power plants in the country. Such offers, when received, have to be considered on the basis of technical suitability, economic attractiveness, the regulatory requirements of our country and the conditions attached to the offers.

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

2516. **श्री ओंकार सिंह लखापत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों की केन्द्र-वार क्षमता कितनी है तथा उनकी उत्पादकता क्या है;

(ख) ऊर्जा उत्पादन के लिए नए परमाणु ऊर्जा उत्पादन केन्द्र खोलने के संबंध में सरकार की क्या योजना है तथा राजस्थान मे कितनी इकाइयों के स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) मौजूदा परमाणु केन्द्रों पर विकिरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए है तथा क्या ये उपाय पर्याप्त है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) परमाणु विद्युत संयंत्रों की क्षेत्र-वार क्षमताएं उनकी उत्पादकता (पिछले दो वर्षो के लिए क्षमता गुणकों) सहित नीचे दी गई है:-

बिजलीघर का नाम तथा अवस्थित	यूनिट	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	क्षमता गुणक 97-98	क्षमता गुणक – 98-99 (जनवरी 99 तक)
तारापुर परमाणु बिजलीघर, महाराष्ट्र	टीएपीएस-1	160	84	91
	टीएपीएस-2	160	68	65
राजस्थान परमाणु बिजलीघर, राजस्थान	आरएपीएस-1	100	40	60
	आरएपीएस-2	200		64
मद्रास परमाणु बिजलीघर, तमिलनाडु	एमएपीएस-1	170	49	71
	एमएपीएस-2	170	78	82
नरोरा परमाणु बिजलीघर, उत्तर प्रदेश	एनएपीएस-1	220	90	78
	एनएपीएस-2	220	89	74
ककरापारपरमाणु बिजलीघर, गुजरात	केएपीएस-1	220	48	67
	केएपीएस-2	220	63	76

*राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 को शीतल पैनलों को बदल दिए जाने और अपग्रेडेश्न कार्यो को पूरा किए जाने के बाद जून, 1998 में फिर से चालू कर दिया गया था ।

(ख) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 1 व 2 (2.220 मेगावाट) तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट – 3 व 4 (2.220 मेगावाट) से युक्त 880 मेगावाट की कुल क्षमता वाली चालू परियोजनाओं को पूरा करने और उन्हें चालू करने के अलावा नवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु विद्युत विकास के प्रस्तावों में तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना के दो यूनिटों – 3 व 4 (2'500 मेगावाट), कैगा यूनिटों – 3 व 4 (2'220 मेगावाट) पर कार्य शुरू करने के अतिरिक्त नवीं योजना के अंत तक रूसी सहायता से तमिलनाडु में कुडानकुलम में 2'1000 मेगावाट वाले परमाणु बिजलीघर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को लागू करना और प्रोटोटाइप कार्य शुरू करना शामिल है ।

(ग) नाभिकीय केंद्रों में कार्मिकों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्राओं को लगातार मानीटर किया जाता है । ये मात्राएं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड